

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

संख्या : 31/2/23/वा.सं. आर-0892/एस-6/2022

दिनांक : 19.01.2023

प्रति,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

श्री अमित चौहान, दून डिवाइज कालोनी आई.टी.पार्क, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 40फिट गुणा 60फिट क्षेत्रफल में स्टील्ट, प्रथम, द्वितीय पर भवन निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ.प्र.0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रकरण में सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 24.1.2023 को सील किया जाना था। परन्तु पुलिस बल की गणतन्त्र दिवस की व्यवस्था की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण दिनांक 24.1.2023 को अनुत्पलब्धता जताई जा रहा है, जिस कारण उक्त निर्माण को दिनांक 21.1.2023 को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सिलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को प्रकरण में सिलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का कष्ट करें।
2. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं/(इलैक्ट्रीकल)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में सिलिंग की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
4. नाज़िर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को दो वाहन एवं सिलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. श्री अमित चौहान, दून डिवाइज कालोनी आई.टी.पार्क, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि को सील किया जाना है, विपक्षी स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें व स्थल से अपना समस्त सामान हटा ले शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्रांक-3469 दिनांक 17.1.2023 की यथावत रहेगी।



संयुक्त सचिव

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।